न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 196/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/25)

निर्णय दिनांकः 10-04-2023

1. रजनी देवी पत्नी स्व. किशनलाल जाति जाट निवासी बी–13 जवाहर नगर गजनेर रोड़ बीकानेर।
2. मितेश वीर पुत्र स्व. किशनलाल जाति जाट निवासी बी–13 जवाहर नगर गजनेर रोड़ बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

– रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–09–1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 23–09–1988 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पति/पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 6 पीएसएम के मुरब्बा नम्बर 143/40 के किला नम्बर 8 ता 14, 17 ता 24 तादादी 16 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 143/32 के किला नम्बर 4 ता 7, 13 ता 25 तादादी 17 बीघा इस प्रकार कुल 33 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि पूर्व में ही सुगन कंवर पत्नी उम्मेद सिंह को आवंटित होने के कारण अपीलांट्स के पति/पिता को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट्स अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट्स के पति/पिता के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट्स को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–09–1988 के विरूद्व अपील दिनांक 12–01–22 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–09–1988 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 12–01–2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। प्रकरण में अपीलांट ग्रामीण पृष्ठ भूमि व अन्य तहसील का निवासी होने के कारण आवंटन अधिकारी स्तर से किये गये निर्णय की जानकारी का समुचितं तन्त्र विकसित नहीं होने के कारण आवेदक/अपीलांट को निर्णय की जानकारी देरी से होने का समुचित कारण है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–02–1986 को अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटन का पात्र धोषित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 23–09–1988 को चक 6 पीएसएम के मुरब्बा नम्बर 143/40 के किला नम्बर 8 ता 14, 17 ता 24 तादादी 16 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 143/32 के किला नम्बर 4 ता 7, 13 ता 25 तादादी 17 बीघा इस प्रकार कुल 33 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया, परन्तु उक्त आदेश के पश्चात् किश्तो

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का शड्यूल जारी करना, कब्जा देने, आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल करना आदि आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान जमाबन्दी में आवेदक के पति/पिता को आवंटित 6 पीएसएम के मुरब्बा नम्बर 143/40 एवं मुरब्बा नम्बर 143/32 की भूमि अन्य व्यक्ति उम्मेद सिंह एवं सुगनकंवर पत्नी उम्मेद सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। सभंव है कि पूर्व आवंटी ने राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के उपरान्त विक्रय कर दिया हो या आवंटन आदेश का अमल दरामद नहीं होने के कारण आराजीराज भूमि का दोहरा आवंटन कर दिया हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

आवंटन का रिकार्ड अपडेट रखने का दायित्व उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों का है, परन्तु विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता का नतीजा आवंटी भुगत रहे है। अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपीलांट/आवंटी को कोई लाभ नहीं मिला है तो ऐसे आवंटन आदेश का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। परन्तु सक्षम अधिकारी ने न तो उक्त आदेश को निरस्त किया, न पात्रता के आधार पर आवेदक को अन्यत्र भूमि आवंटित की। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अनिश्चित अवधि तक प्रभावी रखने का औचित्य नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–09–1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्व. किशनलाल के वारिसान/पात्रता की जॉच करते हुए पात्रता सही पाये जाने पर भूमिहीन श्रेणी आवंटन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसरण में आवंटन नियमों में उल्लेखित प्रकिया अपनाते हुए आवेदन पत्र का विधि सम्मत निस्तारण करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10/4/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

10/4/23

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर